

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

03⁰⁴/₁₉

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादी की तामील सम्पत्त रुम से होकर लौरी है। आवजूद सम्पत्त तामील उक्त प्रमाणों की ओर से कोई हाजिर अदालत नहीं आया है। अतः प्रतिवादी के विरुद्ध एडप्रीपु कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वास्तु छद्म पत्रावली दिनांक 23/04/2019 को पेश हो।

23/04/19

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित प्रकरण में बहस वकील वादी सुनी गई। दौरान बहस वकील वादी ने अपने वादपत्र में अंडित तथ्यों को दोहराते हुए मुताबिक अनुलोष दावा डिफ्री करमाया जाने का निवेदन किया। वास्तु आदेश पत्रावली दिनांक 26-04-2019 को पेश हो।

26⁰⁴/₁₉

पत्रावली वास्तु आदेश आज पेश हुई। प्रकरण में बहस वकील वादी पूर्व में सुनी जा चुकी है। पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड एवं परतावेजात का अवलोकन किया गया एवं बहस वकील वादी पर सगौर मनन किया गया जिनसे वादी का वाद स्वीकार किया जाने योग्य नामा जाने पर स्वीकार किया जाउन डिफ्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय मेरे द्वारा वृचड से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली करवाया गया। पत्रावली केमल सुमात्र होकर नम्बर से इस हो तथा वाद एडमील काबिल फरत हो। निर्णय प्रले न्यायालय में सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी
लाहौरा (सीकर)